International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.10 No.5 May– June 2023

महात्मा गांधीजी की ग्राम स्वराज्य अवधारणा कि ग्रामिण विकास मे भुमिका

विकास वसराम आडे[1],डॉ. राजेंद्र औंकार बेलोकर[2]
[1]सहायक प्राध्यापक विभाग) सी. जे. पटेल महाविद्यालय, तिरोडा.
तुमसर. जि. गोंदीया (महाराष्ट्र)
[2]सहायक प्राध्यापक.(राजनीति विज्ञान एस. एन.मोर. महाविद्यालय
जि. भंडारा. (महाराष्ट्र)
Corresponding Author- विकास वसराम आडे
Email- vikascjpctirora@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8119809

शोध संक्षेप

प्रस्तुत शोधपत्र समकालीन परिप्रेक्ष में महात्मा गांधीजी की ग्राम स्वराज्य अवधारणा की प्रांसगिकता की अवधारणा पर आधारीत है । महात्मा गांधी ने मार्क्स से भी आगे जाकर यह बताया की सता का उद्देश स्वकल्याण न होकर जन्कल्याण होणा चाहीए जिसके अनुरूप सता का विकेन्द्रीकरण होगा और जन सहभागीता बढेगी और एक नये स्वराज्य का निर्माण होगा और जहॉ जनता का शासन होगा.

प्राचिन काल से भारत यह गावों का देश रहा है । इसकी ग्रामीण संस्कृती प्राचीन है । विश्व में अनेक संस्कृतियों के बीच भारतीय संस्कृती की एक अलग ही पहचान है क्यों की भारतीय संस्कृती में विधिता में एकता दिखाई देती है । वेदों का मंत्र है **। विश्व पुष्टे ग्रामे अस्मिन अनातुरम् ।** अर्थात मेरे गॉव मे पुरे विश्व का दर्शन होना चाहीए । यह दर्शन बिना स्वराज्य के बिना नही हो सकता । महात्मा गांधीजी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा वैदिक विचारो का ही विस्तार है । प्रस्तुत शोध पत्र मे इसी पर विचार करणे का प्रयास किया गया है ।

प्रस्तावना :–

गांवो को लोकतंत्रिय शासन का आत्मा कहा जाता है । लोकतंत्र का वास्तविक सार यह है कि एक निरीह से निरीह व्यक्ति को भी सता में भागीदारी का अवसर प्राप्त हो । महात्मा गांधी के समग्र चिंतन एंव दर्शन का केंद्रबिंदु गांव ही रहे है । वे हमेशा कहते थे की गांवों की और चलो गांधीजींने ग्राम स्वराज्य की सुंदर कल्पना इस प्रकार की है । ग्राम स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है की एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपनी खास जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर होगा। (1) इस कारण यह स्वभाविक था कि स्वतंत्रता के पश्चात् भारत मे विकास की संरचना गांवो को केंद्र मानकर बनायी गई है । इस संदर्भ मे ग्राम स्वराज्य व्यवस्था मे जनसहभागिता एंव जनता की सक्रियता महत्वपूर्ण है । गांधीजी हमेशा याद दिलाते रहे है कि भारत हमेशा गांवो मे बसता है हमें उसके ढांचे में और उसकी संचालन विधीयों में परिवर्तन करके उसे ऐसा रूप देना होगा जिससे शासकीय सता में जनसहभागिता बढ सके विगत् कुछ वर्षो से विकास का ढॉचा गांवो को विकास का केंद्र मानकर बनाया जा रहा है । जैसे की मनरेगा स्वराज्य एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ है आत्मशासन और आत्मनिर्भर अंग्रेजी शब्द इंडिपेडेंस मतलब सभी प्रकार की मर्यादाओं से मुक्ती निरंकुशता आजादी का या स्वच्छांदता का अर्थ देता है । वह अर्थ स्वराज्य शब्द में नही है । (2)

स्वराज्य से महात्मा गांधीजी का अभिप्राय लोक सम्मति के अनुसार चलने वाला शासन है । महात्मा गांधीजी के अनुसार सच्चा स्वराज्य थोडे लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से नही है, बल्कि जब सत्ता का दुरूपयोग होता हो तब सब लोगों द्वारा प्रतिकार करणे की क्षमता उसमें है । (3) राजनितिक स्वतंत्रता का मतलब यह नही हम ब्रिटेन की लोकतंत्रिय सभा या रूस सोवियत या इटली की फॅस्टिस्ट शासन या जर्मनी के नाजी शासन का स्वीकार करें बल्कि स्वतंत्रता का बतलब देश की आम जनता की स्वतंत्रता से है । महात्मा गांधी के अनुसार स्वतंत्रता नीचे से सुरू होनी चाहीए । उनकी कल्पना थी की गांवो के शासन मे जनता प्रत्यक्ष रूप से सहसभागी होगी. हमारी शासन व्यवस्था हमारी प्रकृति के अनुरूप होनी चाहीए यही लोकतंत्रिय शासन का सिध्दांत है ।

स्वराज्य का अर्थ होता है । स्वंय का स्वयंपर शासन स्वराज्य सत्य और अंहिसा के दो शुध्द साधनो द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । सच्चा लोकतंत्र या जनता का स्वराज्य कभी भी असत्यमय और हिंसक साधनो से नही आ सकता क्योंकी असत्य और हिंसा व्यक्ति कि स्वतंत्रता और स्वराज्य की रक्षा नही कर सकती व्यक्ति और स्वराज्य की रक्षा केवल विशुध्द अंहिसा पर आधारीत शासन में ही हो सकती है ।(4)

अध्ययन का उद्देष :–

(1) महात्मा गांधीजीं के विचारोंकी व्याप्ती जानना
(2) महात्मा गांधीजीं के ग्राम स्वाराज्य संबंधी तत्वज्ञान को जानना
(3) महात्मा गांधीजीं के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा कि ग्रामिण विकास में भुमिका स्पष्ट करना

महात्मा गांधीजी कि ग्राम स्वराज्य की अवधारणा :–

महात्मा गांधीजी ने व्यक्ति के सुंदर जीवन हेतू ग्राम–स्वराज्य की कल्पना की है । जिसमे न तो कोई धर्म होगा । न जाती होगी । शोषण विरहीत अन्याय विरहीत व्देष से विरहीत एक आदर्श ग्राम होगा । स्वराज्य का अर्थ गांधीजी को अभिप्रेरित था । (5) ग्रामवासी स्वराज्य को हिंसा नही बल्कि अहिंसा से प्राप्त करेंगे महात्मा गांधी के स्वराज्य मे विदेशी तथा स्वदेशी नियंत्रण से पूर्ण मुक्ती और पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता निहीत है । महात्मा गांधी के

मतानुसार । ग्राम स्वराज्य कि मेरी कल्पना यह हे कि, वह एक ऐसा प्रजातंत्र होगा जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पडोसियों पर निर्भर नही रहेगा, वह आत्म निर्भर होगा। (6)

महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य मे सभी जातियों वर्गो, नस्लो, धर्म के लोगो को सम्मान माना जाएगा, और सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य होगी । छुआछुत का मानो निशान न होगा । बुनियादी शिक्षा गॉव के आखरी दर्जे तक शिक्षा सबके लिए लाजिमी होगी । जहॉ तक हो सकेगा, गॉव के सभी काम सहयोग के आधारपर किये जायेगें । महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य में किसी भी ग्रामीण का मानसिक, शारिरिक,बौध्दिक,आर्थिक,तथा सामाजिक शोषण नही हो सकेगा । शोषण विहीन अवस्था ही ग्राम स्वराज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य है ।

महात्मा गांधीजीं के ग्राम स्वराज के सिध्दांत :–

महात्मा गांधी केवल विचारक एंव नेता ही नही थे, बल्कि एक मानवतावादी थे जिनके विचारों को कर्मो से जोडा जाता है । जिनका प्रयोग किसी भी परिस्थितीयों में किये जानेपर उसका परिणाम अंहिसक ही होगा । उन्होने अपने विचारों को कर्मो के रूप में साकार कर जीवन पर्यंत व्यावहारिक स्वरूप मे ढॉला है। गांधीजीने गावो को भारत की आत्मा कहा है और ग्रामीणो के उत्कर्ष पूर्ण जीवन के लिए हमेशा उत्कृष्ट आत्मनिर्भर आदर्शवादी पंचायती राज और ग्राम स्वराज की धारणा का प्रशस्तीकरण किया ।

गांधीजी ने 1931 मे ग्रामीणो के उत्कर्ष हेतू पंचायतो के लिए कुछ नियम सुजाए । उनके अनुसार जनचेतना को व्यापक रूप से जागृत करणे के पश्चात आर्थिक रूप से विकेंद्रीत ग्रामीण समाज में ही राजनीतीक विकेन्द्रीकरण प्रभावी हो सकेगा जब गॉव का शासन चलाने के लिए पॉच पंचो कि एक पंचायत चुनी जाएगी । और इन पंचायतो को सब प्रकार के अधिकार और सता रहेंगी । गाव कि सारी व्यवस्था गॉव के हाथ में होगी तब जाकर ग्राम स्वराज का निर्माण होगा । (7) जिसके व्यावहारिक कियान्वयन मे ग्राम विकास की दिशा में प्रवाहित हो सकते है वर्तमान पंचायती की आधारशिला गांधीजी के ग्राम स्वराज के अवधारणा के अनुसार ही रखी गई है । (8) संविधान की धारा 40 तथा 73 वॉ संवैधानिक संशोधन. अधिनियत ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना को प्रभावी बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है । विभिन्न राज्यों द्वारा इसके अनुरूप पंचायती राज अधिनिय लागूकर दिए गए है । (9) महात्मा गांधीजी के ग्राम – स्वराज की अवधारणा के सिध्दांत निम्म लिखित है ।

1) मानव का सर्वोच्च स्थान–

महात्मा गांधीजी की कल्पना में ग्राम स्वराज्य की धारण को सबसे आधारभूत और सर्वप्रथम सिद्धांत 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' एवं 'सर्वभूत हिताय' है। मानव का सर्वोच्च ध्येय है लोगों को सुखी बनाना और इसके साथ उनकी बौद्धिक और नैतिक उन्नति भी करना। नैतिक उन्नति से तात्पर्य आध्यात्मिक उन्नति से है। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य किया जाए तो उसका एकमात्र ध्येय मानव हित व कल्याण ही होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जिससे हर व्यक्ति जीवित रहने के लिये मूलभूत व न्यूनतम आवष्यकताओं की पुर्ति कर सके। किसी भी राष्ट्र की सुव्यवस्थितता की कसौटी यह नहीं होनी चाहिए कि उस राष्ट्र में कितने धनकु बेर है बल्कि यह होनी चाहिए कि उस राष्ट्र में कोई भुखमरी का शिकार न हो। सभी व्यक्तियों को आजीविका का पूर्ण अधिकार हो। राष्ट्र द्वारा निर्मित की जाने वाली योजनाएं इस प्रकार हों कि सम्पुर्ण मानव शक्ति की अधिकाधिक सहभागिता हो।

2) सभ्य समाज –

सभ्य एवं समानता पर आधारित सत्य और अहिंसा के सिध्दान्तों के आधार पर ही एक सभ्य समाज की रचना हो सकती है । ऐसा समाज जो अनेक गावों से बना होगा और व्यक्ति ही उसका केन्द्र बिन्दु होगा ग्राम शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास रखनेवाला सम्पूर्ण प्रजातंत्र कार्यरत होगा । व्यक्ति ही ग्रामीण स्वशासन की सरकार का निर्माता होगा । व्यक्ति ही सामाजिक किर्ति का प्रेरणास्त्रोत और आधार है ।

3) सुखी जीवन :–

मानवता का सर्वोच्च ध्येय है लोंगो को सुखी बनाना बेथॅम के मतानुसार अधिकाधिक सुखी जीवन का शोध ही मानव के जिवन का उद्देष रहा है । परंतु इसके साथ ही उनकी बौध्दिक और नैतिक के साथ उन्नति भी करना है । महात्मा गांधीजी ने व्यक्ती के जीवन मे नैतिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है । नैतिकता उस व्यक्ति में है जो सत्य और अंहिसा के पथ पर चलता है । इसके साथ ही नैतिकता के साथ

बौध्दिक उन्नति भी करना है । नैतिक उन्नति से अर्थ यहां अध्यात्मिक उन्नति से और यह ध्येय विकेंद्रकिरण से प्राप्त किया जा सकता है ।

4) समानता :–

महात्मा गांधी के अनुसार समानता पर अधारित सत्य और अहिंसा के सिध्दांतो के आधार पर ही एक सभ्य समाज की रचना हो सकती है । हर एक को अपने विकास के और अपने जीवन को सफल बनाने के समान अधिकर मिलने चाहिए । अगर अवसर दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से अपना अध्यात्मिक विकास कर सकता है । गांधीजी का तात्पर्य किसी विशेष धम्र के बारे में नही बल्कि वे सभी धर्मो के तत्वो से मिलकर जो मानव धर्म बनता है उसी मे आस्था रखते थे । गांधीजी के नुसार ग्राम स्वराज्य में सभी बराबर होंगे । प्रत्येक धर्म को सम्मान एंव बराबरी का दर्जा प्राप्त होगा । (10) जिस तरह सच्चे नीति धर्म में और कल्याणकारी अर्थशास्त्र में कोई अंतर नही होता, उसी तरह सच्चा अर्थशास्त्र कभी नीति धर्म के आदर्श का विरोध नही करता.।

5) विकेंन्द्रीकरण :–

महात्मा गांधीजी विकेंद्रीत अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे । तथा उत्पादन का विकेंन्द्रीकरण चाहते थे भारतीय जनसंख्या तथा साधनो को देखते हुए गांधीजींने कृषी प्रधान और कुटीर उद्योगों को विकसित करने पर अधिक ध्यान दिया । (11) गांधीजी ने कहा है कि यदी भारत को अपना विकास करना है तो उसे बडे पैमाने पर विकेंन्द्रीकरण करना होगा ।

आज भारतीय दृष्टीकोन से यह अनुभव किया जाए तो कृषि के विकास द्वारा एंव लघु उद्योंगो को प्रोत्साहित करके गांव का विकास आसान हो सकता है । जिससे गरिबी, बोरोजगारी की समस्या समाप्त होकर लोगों कों एक सफल रोजगार प्राप्त होगा ।

6) स्वदेशी :–

स्वदेशी एक सार्वभौम धर्म है । गांधीजीं के अनुसार मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने पडोंसियों के प्रति है । इसमें परदेशी के प्रति द्वेष नही है और स्वदेशी के प्रति पक्षपात नही है । असल मे तो इस स्वदेशी धर्म में अपने

पराये का भेद नही है । अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए इतना ज्ञान हमारे लिए काफी होना चाहिए । (12)

7) स्वालम्बन एवं आत्मनिर्भरता :–

गांधीजी ने कहा था कि हमे अगर सच्चा ग्राम स्वराज्य स्थापित करना हो और शासकीय निमंत्रण से मुक्त होना है तो निश्चय करना होगा की हम स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनेगें ।(13) समाज का घटक गांव या लोगों का ऐसा छोटा समुह होना चाहिए जिसकी व्यवस्था हो सके और जो आदर्श की दृष्टी से जीवन की मुख्य आवश्यकताओं के बारे में स्वयंपूर्ण और आत्मनिर्भर हो । (14) हर गांव को अपने पांव पर खडा होना होगा, अपनी जरूरते खुद पुरी करनी होंगी, ताकी वह अपना सारा कारोबार स्वंय चला सके । (15) इस प्रकार ग्राम – स्वराज्य की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण भुमिका ग्रामिनों को निभानी होगी ।

8) सहयोग और लोकमत शक्ति का स्त्रोत :–

गांधीजी के मतानुसार लोकमत और सहयोग शक्ति का सबसे बडा स्त्रोत है । जब ग्राम स्वराज्य बनेगा तब लोकमत द्वारा ग्रामीण विकास से संबंधीत सभी कार्य होने लगेंगे ग्रामीण सहयोग और प्रेमभाव द्वारा बहुत कुछ कर सकते है । गांधीजी के मतानुसार मनुस्यो को सहयोग से रहना चाहिए और सहयोग के आधार पर ही समस्त कार्य किए जाए । सब के भलाई के लिए काम करना चाहिए । सहकारिता का पध्दति किसानों के लिए ज्यादा जर!री है । हमे यह याद रखना चाहिए कि सहभागिता का आधार पूर्ण अहिंसा होगा । (16)

9) सत्य और अहिंसा पर आधारित समाज :–

सत्याग्रह और असहयोग के शस्त्र के साथ–साथ अहिंसा कि सता ग्रामीण समाज के शासन की बल होगी । गांव कि रक्षा के लिए ग्राम – सैनिको का एक दल होगा, जो गांव की रक्षा करेगा । इस ग्रामीण शासन मे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारीत सम्पूर्ण प्रजातंत्र कार्य करेंगा । गांधीजी ने एक ऐसे ग्राम – समाज की कल्पना कि है, जो सहयोगी, सुशिक्षित और संस्कार वान होगा, जिसमे स्त्री–पुरूश को समान माना जाएगा

10) सर्व धर्म समानता :–

गांधीजी के मतानुसार सभी धर्म ईश्वर प्राप्ती के भिन्न–भिन्न मार्ग है लेकिन उसका उद्देश एक ही है समस्त धर्म मुल में एक ही है । यद्यापि वे पेड पत्तो कि तरह ब्योरे में है और ब्रहम के रूप में एक दुसरे से अलग–अलग है । सभी प्रचलित धर्म सत्य को प्रकट करते है । गांधीजी ने कहा था कि ग्राम स्वराज्य में हर एक धर्म कि अपनी पुरी और बराबरी कि जगह होगी । जॉती,पाति, धर्म, ऊॅच–नीच जैसे भेदभाव जो हमारे समाज में पाए जाते है । वैसे वह ग्राम – स्वराज्य में नही रहेंगे ।

11) पंचायती राज :–

प्राचिन काल से भारत में सामाजिक नियंत्रण का कार्य पंचायतो द्वारा ही होता आ रहा है । ग्रामीण समाजिक व्यवस्था पंचायतो पर बहूत हदतक निर्भर थी । गांधीजी के मतानुसार ग्रा–स्वराज्य में गॉव का शासन चलाने के लिए प्रत्येक वर्ष पॉच व्यक्तियों कि एक पंचायत चुनी जाएगी । पंचायतो को सभी प्रकार के अधिकार और सता रहेगी । इसके लिए नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के वयस्क स्त्री–पुरूष को पंच चुनने का अधिकर होगा । (17) इस ग्राम स्वराज्य मे आज के प्रचलित अर्थो में सजा या दंण्ड का कोई रिवाज नही होगा । इसलिए पंचायत एक साल के कार्यकाल में स्वंय धारासभा न्यायसभा और कारोबरी सभा का कार्य संयुक्त रूप से करेंगी ।

12) बुनियादी तालीम :–

महात्मा गांधीजी ने अपनी पत्रिका हरिजन में 6 अप्रेल 1940 में बुनियादी शिक्षा के बारे में कहा है । कि बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य है हस्तशिल्प के माध्यम से बच्चों का शारिरीक, बौध्दिक एवं नैतिक विकास और उत्तम क्षमताओ का सर्वांगिण विकास किया जाए और उन्हे प्रकाश मे लाया जाए । अक्षर ज्ञान न तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्म है और नही उसका आरंभ है । वह तो मनुष्य के साधानों मे केवल एक साधन है । अक्षर ज्ञान अपने आप में शिक्षा नही है । गांधीजी के मतानुसार कि बच्चो को दस्तकारी सिखाकर और जिस क्षण वह अपनी शिक्षा का आरंभ करे उसी क्षण से उसे उत्पादन योग्य बनाना चाहिए । गांधीजी ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया है ।

13) कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग –

कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों से ग्रामीण बेराजगारी दुर कि जा सकती है । तथा ग्रामिणों का नगरों की और पलायन, पर्यावरण प्रदुषण और औद्योगिक कचरो कि समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है । सुत कताई, कपडा बुनाई, अटा चक्की,तेल का कोलहू, गुड निर्माण मधु मक्खी पालन इस प्रकार कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था द्वारा गांव की बेरोजगारी को कम किया जा सकता है ।

14) ग्रामीण चितंन एंव ग्राम भावना :–

ग्राम स्वराज्य की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामिणों को ही निभानी होगी । ग्रामिणो को अपने गॉव का ध्यान रखते हुए कर्ता–धर्ता कि भूमिका निभानी होगी । उन्हे व्यक्तिगत स्वार्थ को भुलकर गांव को भलाई के बारे में सोचना होगा । जिस प्रकार व्यक्ति अपने परिवार के विकास के बारे में चिंता करता है कि ठिक उसी तरहा ग्राम – स्वराज्य की स्थापना के लिए पुर गॉव का चिंतन करना होगा ।

उपसंहार :–

महात्मा गांधी ने अपने समग्र विचार दर्शन में ग्राम स्वराज्य तथा स्वावलंबन के लिए पंचायतीराज पर प्रमुखता से चिंतन केंद्रित किया है । निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते है । कि, गांधीजी के विचार कोई प्राचिन आवधारणा नही अपितु अपरिहार्य रूप से एक वैज्ञानिक आवधारणा है । गांधीजी की आर्थिक आवधारणा को यदी हम वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था एंव राजनीतिक व्यवस्था से जोडे तो उनके आर्थिक एवं राजनीतिक विचार आज भी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण कि दृष्टी से उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की उस समय थे । गांधीजी के आध्यत्मिक उतराधिकारी आचार्य विनोबा भावे ने गांधीजी के चिंतन को आगे बढोते हुए कहा है । हमे भारत को स्वाधीन गांवो का स्वाधीन देश बनाना है । गांव मे ग्राम स्वराज्य यांनी आज कि पंचायती राजप्रणाली को स्थापित करते हुए हम इस दिशा में अग्रसर हो रहे है । गांधीजी के तात्विक आदर्शवाद पर अमल करते हुए ग्राम पंचायतो को व्यवहारिकतापूर्ण एवं सार्थक विकोसोन्मुख गति प्रदान करनी होगी ।

संविधान के अनुच्छेद 40 के आधार भूत सिध्दांत को आगे बढाते हुए ग्राम स्वराज्य कि दिशा में 73 वा संवैधानिक संशोधन अधिनिय इस विशाल ग्रामप्रधान देश में अपने आप में सामाजिक क्रांति का धोतक है । पंचायतीराज अधिनियत द्वारा संरक्षण प्राप्त कर पंचायतीराज संस्थाऐं व्यापक रूप से कार्य कर रही है । आज हमारे देश में 2,18,116 पंचायतो कि संख्या है, और 5.8 लाख गांवो कि

संख्या है । महात्मा गांधी ने अपने विचारों मे पंचायत राज को महत्वपूर्ण माना है जिसके द्वारा विकेंन्द्रीकरण कि प्रक्रिया को पुरा किया जा सकता है और जनता का राजनितिक सहभाग बढाकर एक उत्तम ग्राम स्वराज्य स्थापित किया जा सकता है । इसके लिए गांधीजी एक सदृढ पंचायती राज सोपान के सदैव हिमायती रहे है और इसके लिए उन्होने पंचायतीराज के मुलभूत स्वरूप को अपने विचारों द्वारा प्रस्तुत भी किया है । वर्तमान समय में पंचायतो मे ग्राम – स्वराज्य व्यवस्था लागु कर लोकतंत्र कि नींव को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है फिर भी वर्तमान व्यवस्था में कुछ चुनौतियां है जिससे निपटना आवश्यक है जो हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधॉए पैदा कर रही है । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी,जनसंख्या वृध्दी, मुल्य वृध्दी, जातीयवाद, जमातवाद, आर्थिक विषमता, स्त्री असुरक्षितता आदि चुनौतियों को समाप्त करने की आवश्यकता है तभी सच्चे अर्थो में गांधीजी के सपनो का भारत का सपना साकार होगा । और तभी सई दिशा में ग्राम स्वराज्य कि सार्थकता सिध्द होगी ।

संदर्भ ग्रंथ :–

1) गांधी एक अध्ययन :– रमेश सक्सेना, विश्वभारती पब्लिकेशन नई दिल्ली पृ.69
2) यंग इंडिया – 19 मार्च 1931 पृ.38
3) हिन्दी नवजीवन 29 जनवरी 1925 पृ.198
4) हरिजन 27 मई 1939 पृ.143
5) हिन्द स्वराज का संदेश, म.गांधी 1909
6) भविष्यकालीन शांततेसाठी गांधी विचारांचा पुणर्शोध डॉ. डी.आर.पाटील
7) गांधी एक अध्ययन, रमेश सक्सेना, विश्वभारती पब्लिकेशन दिल्ली पृ.71
8) गांधी मोहनदास करमचंद,हरिजन सेवक 1942 पृ. 27
9) गांधी एक अध्ययन, रमेश सक्सेना विश्वभारती पब्लिकेशन नई दिल्ली
10) गांधीजी एंव ग्राम स्वराज्य,रमेश सक्सेना विश्वभारती पब्लिकेशन नई दिल्ली
11) गांधीजी एवं ग्राम स्वराज्य रमेश सक्सेना विश्वभारती पब्लिकेशन नई दिल्ली
12) गांधी मोहनदास करमचंद हरजिन सेवक 1944 पृ.72
13) गांधी एंव स्वराज्य रमेश सक्सेना पृ.79
14) गांधी मोहनदास करमचंद हरिजन सेवक 1942 पृ.27
15) गांधी मोहनदास करमचंद, सत्याग्रह और समाज सन 1940
16) गांधी एक अध्ययन, रमेश सक्सेना पृ. 70
17) गांधी मोहनदास करमचंद, यंग इंडिया 2, फरवरी 1946 पृ. 236